प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सं0 I/No-977/XXIV(1)/2013-05/2013

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक: 08 अक्टूबर सितम्बर, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण हेतु प्रबन्धन मद में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 अर्थ-2/12077-78/5क(1)07/ 2013-14 दिनॉक 20.7.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान-11 के आयोजनागत पक्ष में राज्य साक्षरता कार्यकम के प्रबन्धन मद हेतु कुल रू0 **30,00,000-00 (रूपये तीस लाख मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के वेतन एवं प्रबंधन मद हेतु आहरित व्यय की जायेगी।

(2) धनराशि का व्यय राज्य साक्षरता कार्यकम हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण तत्सम्बन्धी देयक पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा से प्रतिहस्ताक्षर से किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश सं0 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार की स्वीकृति तथा योजना व उसके अन्तर्गत अनुमन्य मदों के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार की व्यय किया जायेगा और किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। साथ ही वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों के सुसंगत प्राविधानों की अनुपालना कडाई से की जाए और इनके अन्तर्गत यथास्थिति जैसी आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(8) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(9) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(10) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं–0101–राष्ट्रीय साक्षरता कार्यकम–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 के कम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राधिका झा)
अपर सचिव

सँ0 (i)/XXIV(1)/2012–05/2013 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, ननूरखेड़ा, देहरादून।
05. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा देहरादून।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 आर0 सिंह)
अनु सचिव।